

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या — 1780 / 2016 / श्रीगंगानगर.
2. अपील संख्या — 1781 / 2016 / श्रीगंगानगर.
3. अपील संख्या — 1782 / 2016 / श्रीगंगानगर.
4. अपील संख्या — 1783 / 2016 / श्रीगंगानगर.
5. अपील संख्या — 1784 / 2016 / श्रीगंगानगर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्टेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर
बनाम

.....अपीलार्थी.

मैसर्स श्री बिल्डर्स, श्रीगंगानगर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी-सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरना
उपराजकीय अभिभाषक
श्री वी. के. पारीक
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

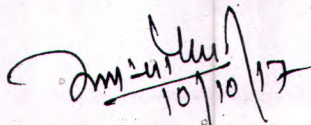
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 10.10.2017

निर्णय

1. उक्त अपीलें अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील में पृथक-पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 02.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।
2. समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. उक्त समस्त प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। व्यवहारी को अवार्डर BSF, JODHPUR द्वारा व्यवहारी को दो पृथक-पृथक कार्य construction of boundary wall at BSF campos Anupgarh तथा Renovation/improvement of type-I (61 to 92) quarters at BN SQ 55 BN BSF under SHQ Shri Ganganagar संकर्म संविदा कार्य को निष्पादित करने हेतु आवंटित किये गये। उक्त दोनों संविदा क्रमशः रुपये 53,59,530/- तथा रुपये 21,71,214/- के कार्य हेतु उक्त राशियों पर क्रमशः दिनांक 18.03.2010 को 1.50% से EC न. 2666/08 तथा दि. 14.11.2011 को 1.50% से EC न. 2529/10 जारी किया गया। उक्त दोनों कार्यों का कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 20.05.2014 तथा 01.08.2012 को 1.50 प्रतिशत से EC निर्धारित करते हुए पारित किया गया। तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा वर्क ऑर्डर व G Schedule का पुनः अवलोकन कर कार्य की प्रकृति के अनुसार उक्त संविदा कार्य को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की सूची के आईटम नं. 4, जिसके लिये मुक्ति शुल्क की दर 3

लगातार.....2.


10/10/17

प्रतिशत निर्धारित है, का दायित्व मानते हुए पूर्व आदेश को प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड की भूल मानते हुए अधिनियम की धारा 33 के तहत दिनांक 09.03.2015 को संशोधन आदेश जारी करते हुए दिनांक 18.03.2010 को जारी EC न. 2666/08 तथा दिनांक 14.11.2011 को जारी EC न. 2529/10 में संशोधन किया जाकर संविदा राशियों पर 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत से EC की दर निर्धारित की गयी। उक्त आदेशों के अधीन मांग राशियों के पारित आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी। उक्त प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण सुविधा की दृष्टि से सारणी में उल्लेखित किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार है:-

अपील सं.	अपी. अधि. की अपी. सं. एवं आ.दि.	कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक	क.नि.अधिकारी के आक्षेपित आदेश का संक्षिप्त विवरण जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की गयी।	कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अधीन मांग राशि	व्यवहारी को सकर्म संविदा के अधीन अवार्ड कार्य
1780/16	75/आरवैट/श्रीगंगानगर/2015-16	09.03.2015	दि. 14.11.2011 को 1.50% से EC न. 2529/10 तथा दि. 09.03.2015 के आदेश द्वारा दि. 14.11.2011 को जारी EC को धारा 33 के तहत संशोधित कर 3% की दर से EC फीस 1,61,086/- रुपये निर्धारित की गयी। जिसको चुनौति दी गयी।	1,61,086/- रुपये	construction of boundary wall at BSF campos Anupgarh
1781/16	78/आरवैट/श्रीगंगानगर/2015-16	06.04.2015	कर निर्धारण वर्ष 2012-13 धारा 26 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.04.2015 अन्तर EC फीस मय ब्याज 57130/- रुपये निर्धारित।	57130/- रुपये	construction of boundary wall at BSF campos Anupgarh
1782/16	76/आरवैट/श्रीगंगानगर/2015-16	09.03.2015	दि. 18.03.2010 को 1.50% से EC न. 2666/08 तथा दि. 09.03.2015 के आदेश द्वारा दि. 18.03.2010 को जारी EC को धारा 33 के तहत संशोधित कर 3% की दर से EC फीस 65136/- रुपये निर्धारित की गयी। जिसको चुनौति दी गयी।	65136/- रुपये	Renovation/improvement of type -I (61 to 92) quarters at BN SQ 55 BN BSF under SHQ Shri Ganganagar
1783/16	79/आरवैट/श्रीगंगानगर/2015-16	06.04.2015	कर निर्धारण वर्ष 2010-11 धारा 26 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.04.2015 अन्तर EC फीस मय ब्याज 34900/- रुपये निर्धारित।	34900/- रुपये	Renovation/improvement of type -I (61 to 92) quarters at BN SQ 55 BN BSF under SHQ Shri Ganganagar
1784/16	77/आरवैट/श्रीगंगानगर/2015-16	06.04.2015	दि. 18.03.2010 को 1.50% से EC न. 2666/08 तथा दि. 14.11.2011 को 1.50% से EC न. 2529/10 जारी किया गया जिनको धारा 33 के तहत पारित आदेश दि. 09.03.2015 द्वारा उक्त दोनों EC को संशोधित कर 3% EC निर्धारित करने से कर निर्धारण आदेश दि. 06.04.2015 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 हेतु संविदा कार्य मूल्य पर क्रमशः 4,85,893/- रुपये व 24,58,509/- रुपये पर अन्तर EC फीस रुपये 44,166/- व ब्याज 18,104/- सहित कुल मांग 62,270/- रुपये धारा 26 के तहत निर्धारित किया गया जिसको चुनौति दी गयी।	62,270/- रुपये	

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.03.2016 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत आदेश न मानते हुये प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.03.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी राजस्व की ओर से बहस करते हुए विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी

लगातार.....3.

Amal Kumar
10/10/17

व्यवहारी के संविदा कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम संख्या 2 से आच्छादित न होकर आईटम संख्या 4 से आच्छादित होता है। इसी आधार पर इस संविदा कार्य के लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता होने से मुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत निर्धारित करते हुये नियमानुसार कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि सूची के आईटम संख्या 2 में अंकित संविदा कार्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इनमें सभी उन संविदा-कार्यों को शामिल किया गया है जो relating to building से जिसमें road, bridges, dams, canals, sewerage system इत्यादी कार्य संबंधित है। अपीलार्थी के प्रश्नगत संविदा कार्य आईटम संख्या 2 की श्रेणी में न आकर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम संख्या-4 की श्रेणी में आने से इस पर 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क देय होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम संख्या 4 को श्रेणी में मानकर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित किया गया, जो विधि संगत है। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा इस संविदा कार्य को प्रविष्टि संख्या 2 से आच्छादित मानते हुए 1.5 प्रतिशत की दर से EC देय होना निर्धारित किया जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश को विधि के विपरीत बताते हुए अपीलार्थी विभाग की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया व कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी संकर्म संविदा कार्य करता है, तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अवार्डर BSF, JODHPUR द्वारा दो पृथक-पृथक कार्य construction of boundary wall at BSF campos Anupgarh तथा Renovation/improvement of type-I (61 to 92) quarters at BN SQ 55 BN BSF under SHQ Shri Ganganagar संकर्म संविदा कार्य उक्त संविदा कार्य Work relating to building की श्रेणी में आने के कारण राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 की सूची के आईटम संख्या 2 के अन्तर्गत आने से इसके लिये 1.5 प्रतिशत की दर से ही ई.सी. फीस देय है। उक्त इस संविदा कार्यों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 की प्रविष्टि संख्या 4 में होना अवधारित कर 3 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस निर्धारित की गयी है, जो पूर्णतया विधि विरुद्ध है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के संविदा कार्यों को अधिसूचना के आईटम संख्या 2 की प्रविष्टि में शामिल होना मानते हुए इस हेतु मुक्ति शुल्क की देयता 1.50 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाना उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.03.2016 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

Amul Kumar
10/10/17

लगातार.....4.

उक्त आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत डीबी अपील संख्या 574/2012/कोटा निर्णय दिनांक 09.09.2016 तथा डीबी अपील संख्या 1535/2011/उदयपुर निर्णय दिनांक 27.07.2017 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों में construction of boundary wall को Work relating to building माना और अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की प्रविष्टि संख्या 2 के श्रेणी की मानकर 1.5 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क देय होना निर्धारित किया गया है। अतः वर्तमान प्रकरण उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों से आच्छादित है। विद्वान अभिभाषक द्वारा इन तर्कों के साथ अपीलार्थी विभाग की अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 जिसमें संविदा संकर्म की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण कर देय EC फीस निर्धारित की गयी है। उक्त अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006, का यहा उल्लेख किया जाना उचित होगा, जो निम्न प्रकार है—

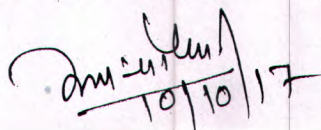
List

Item No	Description of Work Contract	Rate of Exemption Fee % of the total value of the contract
1	2	3
1	a[xxx]	0.25%
2	Work contracts relating to building, roads, bridges, dams canals, sewerage system	1.50%
3	Works contracts relating to installation of plants and machinery including PSPo, water treatment plant, laying of pipe line with material	2.25%
4	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1[xxx] 2 and 3	3.00%

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. April 1,2006

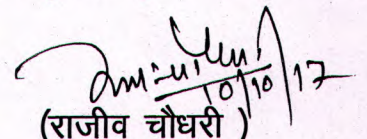
9. राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा न्यायिक दृष्टांत डीबी अपील संख्या 574/2012/कोटा निर्णय दिनांक 09.09.2016 उनवान मैसर्स शंकर कंस्ट्रक्शन कम्पनी बनाम सीटीओ में संविदा कार्य Modification and Construction of Main Plant Boundry Wall between RAPP 5,6,7 & 8 तथा राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत डीबी अपील संख्या 1535/2011/उदयपुर निर्णय दिनांक 27.07.2017 उनवान सीटीओ बनाम मैसर्स बावेल बद्रर्स में संविदा कार्य Construction of 33KVS/S building with boundry wall at Lotiyana Distt. Chittorgarh एवं Construction of RCC foundation at 132KVS/S Capasan राजस्थान कर बोर्ड द्वारा यह

लगातार.....5.


 10/10/17

अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त संविदा कार्य पर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की प्रविष्टि संख्या 2 में Work contracts relating to building की श्रेणी में आने से 1.5 प्रतिशत से कर मुक्ति शुल्क देय है। वर्तमान समस्त प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टांतों से आच्छादित है। इस प्रकार उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में वर्तमान प्रकरणों में आवर्ड किये गये कार्य संविदा का प्रकृति अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की प्रविष्टि संख्या 2 में Work contracts relating to building की श्रेणी में आने से 1.5 प्रतिशत से कर मुक्ति शुल्क देय है। कर निर्धारण अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 18.03.2010 को 1.50% से EC न. 2666/08 तथा दिनांक 14.11.2011 को 1.50% से EC न. 2529/10 जारी किया गया। जिनको धारा 33 के तहत पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 द्वारा उक्त दोनों EC को संशोधित कर 3% की दर से EC निर्धारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने अपीलीय आदेशों में समस्त तथ्यों का विधिक प्रावधानों के संबंध में विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए वर्तमान प्रकरणों के संविदा कार्यों की प्रकृति अधिसूचना दिनांक 08.11.2006 की प्रविष्टि संख्या 2 में Work contracts relating to building की श्रेणी में आने से 1.5 प्रतिशत से कर मुक्ति शुल्क देय होना मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरणों में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 02.03.2016 विधिसम्मत होने से पुष्ट किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1780/2016/श्रीगंगानगर लगायत 1784/2016/श्रीगंगानगर अस्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.03.2016 की पुष्टि की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति समस्त पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जाये।


(राजीव चौधरी)
सदस्य